न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी : श्री अवि गर्ग आर0ए0एस0

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	दायरा तिथि	आदेश तिथि
01 / 2019	धारा 23, 25 भरण पोषण अधिनियम	29.03.2019	24.01.2020

भंवरलाल पुत्र नथमल जाति जांगिड़ उम्र 82 वर्ष निवासी वार्ड नं. 16, नई सड़क, खेमका कोठी के पीछे, चूरू (राज.) मो. 9414248139

—प्रार्थी—

बनाम

1. सुलोचना पत्नी प्रणवकुमार जाति जांगिड़ निवासी वार्ड नं. 16, नई सड़क, खेमका कोठी के पीछे, चूरू (राज.)
2. कुन्दनमल पुत्र भंवरलाल जाति जांगिड़ निवासी 19 लक्ष्मण रेखा विस्तार, निवारू रोड़, पंडितजी की थड़ी, झोटवाड़ा जयपुर (राज.)
3. मुकुन्दबिहारी पुत्र भंवरलाल जाति जांगिड़ निवासी 19 लक्ष्मण रेखा विस्तार, निवारू रोड़, पंडितजी की थड़ी, झोटवाड़ा जयपुर (राज.)
4. ताराचन्द पुत्र भंवरलाल जाति जांगिड़ निवासी उदयनगर, जालन्धर सिटी, जालन्धर (पंजाब)
5. बाबूलाल पुत्र भंवरलाल जाति जांगिड़ निवासी कारपेण्टर कॉन्ट्रेक्टर 166 जे.डी.ए. स्कीम, गणतपुरा भाखरोटा जयपुर (राज.)
6. रविशंकर पुत्र भंवरलाल जाति जांगिड़ निवासी कारपेण्टर कॉन्ट्रेक्टर 166 जे.डी.ए. स्कीम, गणतपुरा भाखरोटा जयपुर (राज.)
7. प्रणवकुमार पुत्र भंवरलाल जाति जांगिड़ निवासी वार्ड नं. 16, नई सड़क, खेमका कोठी के पीछे, चूरू (राज.)

प्रार्थना पत्र धारा 23, 25 माता—पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007

आदेश

प्रार्थी भंवरलाल ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23, 25 माता—पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी कस्बा चूरू का निवासी है प्रार्थी की उम्र 82 वर्ष हो चुकी है। प्रार्थी वरिष्ठ नागरिक है जो वृद्ध होने से शारीरिक रूप से कमजोर हो जाने के कारण दैनिक कार्य करने में भी दिक्कत रहती है। प्रार्थी सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक है। प्रार्थी के छः पुत्र तथा 4 पुत्रियां हैं जिनके नाम कुनणमल, मुकनबिहारी, ताराचन्द, बाबूलाल, रविशंकर, प्रणवकुमार है तथा पुत्रियां मनोहरी, गायत्री, सावित्री, विद्या हैं जिसमें से कुनणमल, मुकनबिहारी, रविशंकर, बाबूलाल जयपुर रहते हैं। रविशंकर को छोड़कर तीनों ने वहीं मकान बना रखे हैं। रविशंकर किरये के मकान में रहता है। पुत्रियों की शादी की हुई है जो चूरू से बाहर टांई, नवलगढ, चाम्पा, छतीसगढ रहती हैं। प्रार्थी का 1600 दरगज का भूखण्ड वार्ड नं. 16 में चूरू में स्थित है जिसमें 800 दरगज में मकान बना हुआ है तथा 800 दरगज खाली है। उक्त मकान का निर्माण प्रार्थी ने अपनी स्व अर्जित आय से

करवाया था जिसमें प्रार्थी लगातार रिहायश करता चला आ रहा है। प्रार्थी के अन्य कोई मकान नहीं है। प्रार्थी का पुत्र प्रणवकुमार प्रार्थी के साथ रहता था जो दिनांक 31.01.2019 को विदेश चला गया। प्रणवकुमार की पत्नी सुलोचना व प्रार्थी की पत्नी सोनादेवी प्रार्थी के साथ रहती हैं। प्रणवकुमार की शादी के पश्चात् धीरे धीरे अप्रार्थी को पड़ौसी लालचन्द व उसकी पत्नी ने बहकाना शुरू कर दिया जिससे अप्रार्थी व लालचन्द की पत्नी बेवजह ही प्रार्थी के साथ छोटी–छोटी बातों को लेकर झगड़ना शुरू हो गयी। प्रार्थी के घर में रखा सामान आदि प्रार्थी की अनुमति व सहमति के बिना ही विक्रय कर देती है। प्रार्थी द्वारा विरोध करने पर मारपीट करने पर आमादा हो जाती है। प्रार्थी का जीना, रहना हराम कर रखा है। दिनांक 07.03.2019 को प्रार्थी किसी व्यक्ति से मिलने गया था जब 12.30 बजे वापिस आया तो प्रार्थी की पुत्रवधु सुलोचना ने प्रार्थी के साथ नीम की मोटी लकड़ी/बेंत से मारपीट की, जोर जोर से मारपीट करने पर लकड़ी टूट गई, फिर प्रार्थी के चिटिया से मारपीट की जिससे अब भी प्रार्थी के पूरे शरीर में दर्द है। तेज दर्द के कारण रात्रि को प्रार्थी का नींद भी नहीं आती है। वह पुनः कभी भी प्रार्थी को जान से मार सकती है। प्रार्थी के जीवन को खतरा बना हुआ है। इस दिन से प्रार्थी अपना खाना स्वयं बना कर खाता है। सुलोचना खाना बनाकर नहीं देती है। प्रार्थी के पुत्र से खुद बात करती रहती है पर प्रार्थी की बात नहीं करवाती है। प्रार्थी की जमीन अपने नाम करने हेतु प्रार्थी को तंग, परेशान, प्रताड़ित करती रहती है। इस कारण अप्रार्थिया को बेदखल किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी वरिष्ठ नागरिक है जो वृद्धावस्था के कारण अप्रार्थीगण का सामना करने में असमर्थ है। प्रार्थी ने अप्रार्थिनी को अपने साथ मकान में रहने की अनुमति इस शर्त के साथ दी थी कि वह मेरी मूलभूत शारीरिक आवश्यकता व सुविधा की पूर्ति करेगी लेकिन वह ऐसा करने में असफल रही है। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थिया को प्रदान की गई सुविधा वापिस लेने का अधिकारी है। अप्रार्थिया का पति समय समय पर उसको रूपये भेजता रहता है इसलिए वह किराये के मकान में रह सकती है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थिया को आदेश दिया जावे कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित मकान वार्ड सं. 16 चूरू में स्थित घर से बेदखल होकर उक्त घर में प्रार्थी की अनुमति सहमति के बिना प्रवेश नहीं करे। प्रार्थी के मकान में रखी कोई भी वस्तु अप्रार्थिया नहीं ले जावे ना ही उनका उपयोग उपभोग करें व नाम ही उन्हें खुर्द बुर्द करे। अन्य अनुतोष जो हितकर प्रार्थी हो दौराने सुनवाई हो जावे वो भी प्रार्थी को अप्रार्थीगण से दिलवाया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थीगण सुलोचना, बाबूलाल, रविशंकर, प्रणवकुमार, कुन्दनमल ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 अस्वीकार है। प्रार्थी की उम्र 82 वर्ष हो चुकी है। लेकिन प्रार्थी शरीर से बिलकुल स्वस्थ है। अपना दैनिक कार्य स्वयं करते हैं, किसी के भी सहारे की आवश्यकता नहीं है। इसलिये प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 1 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में प्रार्थी ने अपने पुत्र पुत्रियों के नाम लिखे हैं, 1600 दरगज भूखण्ड लिखा है, आधे में मकान बने हुए हैं, स्वीकार हैं। 1600 दरगज भूखण्ड प्रार्थी स्वयं के नाम से ही है। उसका कोई भी बंटवारा नही किया गया है। प्रार्थी पूरे भूखण्ड एवं मकानात का स्वयं मालिक है। मकान

भूखण्ड के आसा पासा सही लिखे हैं। प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 3 में सारी बातें झूठी मनघड़त, बनावटी लिखी गई हैं, जो निराधार हैं। प्रार्थी के पड़ौसी कोई भी व्यक्ति अप्रार्थीगण से नाराज नहीं है। किसी से भी झगड़ा आदि कभी भी नहीं हुआ है। अप्रार्थीगण सभी भाई अपने अपने काम धन्धे के लिए चूरू से बाहर अपने बाल बच्चों के साथ रहते हैं। अप्रार्थिनी श्रीमती सुलोचना अपने बच्चों के साथ इसी घर में रहती है। अपने ससुर प्रार्थी भंवरलाल की सेवा चाकरी करती है। खाना बनाकर देती है। उसका पति विदेश में कमाता है। वह घर में अकेली रहती है। उल्टा अप्रार्थिनी सुलोचना का ससुर भंवरलाल तंग परेशान करता रहता हैं। यहां तक कि प्रार्थी भंवरलाल से सारा मोहल्ला परेशान है। किसी की भी शिकायतें करता रहता है। प्रार्थनापत्र की मद संख्या 4 में बिलकुल झूठी काल्पनिक बातें लिखी है। मनघण्ड़त कहानी बनाकर पेश की गई है। प्रार्थी भंवरलाल बिल्कुल स्वस्थ है अपना काम स्वयं करता है। प्रार्थी भंवरलाल को हर माह 32376/–रूपये अखरे रूपये बत्तीस हजार तीन सौ छियेतर रूपये पेंशन मिलती है। प्रार्थी प्रधानाध्यापक की सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हैं। किसी से भी रूपये लेने की आवश्यकता नहीं है। अप्रार्थीगण की माताजी जो पैर से विकलांग औरत है। प्रार्थी अपनी जीवित पत्नी श्रीमती सोनादेवी का भी कभी भी भरण पोषण नहीं करता है। अप्रार्थीगण सभी मिलकर अपनी माताजी का भरण पोषण एवं उनकी दैनिक आवश्यकता की पूर्ति दवाईयां आदि की व्यवस्था करते हैं। अप्रार्थिनी नं. 01 सुलोचना एक घरेलू महिला है जो अपने सास–ससुर की सेवा करती है। उनको खाना बनाकर देती है, फिर भी बात–बात पर प्रार्थी गालियां निकालता रहता है क्योंकि प्रार्थी का दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता है। इसलिए वह अपने पूरे परिवार पुत्र/पुत्रियों अपनी पुत्र–वधुओं को परेशान करता रहता है। प्रार्थनापत्र की मद संख्या 5 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 के जवाब की आवश्यकता नहीं है।

अप्रार्थीगण ने विशेष कथन में अंकित किया कि अप्रार्थीगण कुन्दनमल, बाबूलाल, रविशंकर, प्रणवकुमार चारों भाई अपनी पत्नी बच्चो के साथ चूरू से बाहर कमाने खाने गए हुए है। कभी कभार वार त्योंहार अपनी माताजी पिताजी को संभालने ही चूरू आते हैं और अप्रार्थीगण माता–पिता को खर्चा भी देते हैं। उनकी सार संभाल करते हैं। उनकी सेहत का ख्याल रखते हैं। दवाईयां आदि दिलाते हैं। प्रार्थना पत्र पहले केवल सुलोचना के खिलाफ ही माननीय न्यायालय में दिया था। जो दिनांक 26.03.2019 को दिया गया था। दिनांक 29.03.2019 को दोबारा सुलोचना को छोड़कर अप्रार्थीगण कुन्दनमल, मुकुन्दबिहारी, ताराचन्द, बाबूलाल, रविशंकर, प्रणवकुमार को पक्षकार बनाकर संशोधित टाईटल पेश कर नोटिस जारी करवाये हैं, जबकि पहले प्रार्थना पत्र दिनांक 26.03.2019 को पेश किया था। उसमें सुलोचना के अलावा किसी भी अप्रार्थीगण का कोई भी आरोप या एक्ट नहीं बताया गया है। अप्रार्थीगण सभी को नाहक पक्षकार बनाया गया है। चारों पक्षकार जयपुर से आये हैं। बिना वजह खर्चे से जेरबार करने परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने दिया है। प्रार्थी पढ़ा लिखा उमरदराज व्यक्ति है। पेंशनधारी है। अच्छी पेंशन लेता है। यहा तक कि प्रार्थी अपनी पत्नी को भी एक रूपया नहीं देता है। प्रार्थी दिमागी हालत से ठीक नहीं है। कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी करता है। इसलिए जवाब प्रार्थना पत्र दिया जाकर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे व अप्रार्थीगण को हैरानी परेशानी खर्चे से जेरबार करने के लिए प्रार्थी से अपने पुत्र, पुत्रवधुओं, बच्चों को पर्याप्त मात्रा में खर्चा दिलवाया जावे।

परिवाद में अप्रार्थी सं. 3 पर सही पते के अभाव में नोटिस काफी समय तक तामील नहीं होने पर प्रार्थी ने निवेदन किया कि मुझे अप्रार्थी सं. 3 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहिए। मुझे केवल अप्रार्थी सं. 1 के खिलाफ ही अनुतोष चाहिए। इसलिए अप्रार्थी सं. 1 को मकान से बेदखल किया जावे एवं भविष्य में मुझे तंग परेशान नहीं करने हेतु पाबन्द किया जावे। जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण को सुना गया।

प्रार्थी व अप्रार्थीगण को सुना जाकर प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात् एवं जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया जिससे परिलक्षित होता है कि प्रार्थी राजकीय सेवा निवृत्त वरिष्ठ नागरिक है तथा अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी की पुत्रवधु एवं अप्रार्थी सं. 2 से 7 पुत्रगण हैं। अप्रार्थीगण प्रार्थी के पुत्र व पुत्रवधु होने से उनका नैतिक दायित्व एवं कर्त्तव्य बनता है कि वे अपने पिता की सेवा सुश्रुषा एवं देखभाल करें। प्रार्थी के पुत्रों में प्रणवकुमार को छोड़कर अन्य पुत्रगण चूरू से बाहर परिवार सहित रहते हैं तथा प्रणवकुमार प्रार्थी के साथ उसके घर में रहता है जो अब विदेश गया हुआ है। प्रणवकुमार की पत्नी सुलोचना प्रार्थी के साथ उसके मकान में निवास करती है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि प्रार्थी को अपने पुत्रों से कोई शिकायत नहीं है, प्रार्थी को केवल अपनी पुत्रवधु सुलोचना से ही शिकायत है जिसको प्रार्थी अपने मकान से बेदखल करवाना चाहता है। दूसरी तरफ अप्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थी सं. 1 सुलोचना प्रार्थी की अच्छी तरह देखभाल एवं सुश्रुषा करती है। प्रार्थी को खाना बनाकर देती है, उसकी सेवा चाकरी करती है जबकि प्रार्थी अपनी पुत्रवधु सुलोचना को बिना किसी कारण गालियां देता रहता है। प्रार्थी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक हैं जिनको हर माह 32376/–रूपये पेन्शन मिलती है। प्रार्थी की आयु 82 वर्ष अवश्य है परन्तु प्रार्थी शारीरिक रूप से स्वस्थ है तथा अपना काम स्वयं कर सकता है। अप्रार्थीगण के कथनानुसार प्रार्थी मानसिक सन्तुलन ठीक नहीं है, प्रार्थी से पूरा मोहल्ला प्रार्थी से परेशान है क्योंकि प्रार्थी सभी की शिकायत करता रहता है। प्रार्थी अपनी पत्नी का भी भरण पोषण नहीं करता है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अप्रार्थीगण को प्रार्थी से पर्याप्त खर्चा दिलाया जावे।

पत्रावली के अवलोकन व मनन से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण भरण पोषण अधिनियम के तहत पेश किया गया है जिसमें किसी वरिष्ठ व्यक्ति की चल/अचल सम्पत्ति में हक हिस्सा प्राप्त करने वाला यदि उसका भरण पोषण नहीं करता है तब ऐसा नहीं करने वाले के विरूद्ध यह आवेदन पेश किया जाता है परन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद में प्रार्थी अपना भरण पोषण स्वयं करने में सक्षम है। प्रार्थी इस परिवाद के जरिये अपनी पुत्रवधु अप्रार्थी सं. 1 सुलोचना को अपने स्व अर्जित आय से निर्मित मकान से बेदखल करवाना चाहता है जबकि भरण पोषण अधिनियम में बेदखली सम्बन्धी कोई प्रावधान नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी सं. 1 का पति वर्तमान में विदेश गया हुआ होने से वह अकेली किसी किराये के मकान में नहीं रह सकती है ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा उसे दी गई निवास की सुविधा वापस लिया जाना एवं उसे उक्त मकान से बेदखल किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार प्रस्तुत परिवाद माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का

भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों में कवर नहीं होने से प्रार्थी अपने मकान से बेदखली का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों में कवर नहीं होने से इसी स्तर पर अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 24.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू